संख्या:55/2020/1380 ई-2/तेरह-2020-56/2013

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4.समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 जून,2020

विषय:-कोविड-19 के निवारण के संदर्भ में निर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 एवं 21.03.2020 के क्रम में सेनेटाइजर निर्माण हेतु प्रयुक्त अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किये जाने के क्रम में हैण्ड सैनेटाइजर के संशोधित मूल्य निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-FS-26/1/2020-ECR&E, दिनांक 21-03-2020 एवं अधिसूचना संख्या-S-26/1/2020, दिनांक 19-03-2020 एवं शासन के पत्र सं.-35/2020/758ई-2/तेरह-2020-56/2013, दिनांक 24.04.2020 तथा पत्र सं.-40/2020/773ई-2/तेरह-2020-56/2013, दिनांक 08.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करे।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19-03-2020 के प्रस्तर-2(2) अनुसार हैण्ड सेनटाइजर निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण एवं मूल्य को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए सेनटाइजर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल के दिनांक 05-03-2020 को प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य बिना भारत सरकार की सहमति से नहीं लिया जा सकता है, उक्त के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 24.04.2020 के द्वारा सरकारी विभागों/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों आदि के लिए सैनेटाइजर की दर न्यूनतम पॉच लीटर के पैक में क्रय नियमों का पालन करते हुए न्यूनतम दरों पर अधिकतम रू.110/- प्रति ली. निर्धारित किया गया था। उक्त दर को शासनादेश दिनांक 08.05.2020 के द्वारा संशोधित करते हुए सैनेटाइजर की दर न्यूनतम पॉच लीटर के पैक में न्यूनतम दरों पर अधिकतम रू.100/- प्रति ली. निर्धारित की गयी है, जिसमें समस्त अनुमन्य कर भी सन्निहित है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में हैण्ड सैनेटाइजर के उत्पादन में हुयी वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन लागत में आई कमी एवं वितरण की सुगमता के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित मूल्य को संशोधित करते हुए सरकारी विभागों/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों आदि के लिए 70 प्रतिशत अल्कोहल युक्त तथा 80 प्रतिशत अल्कोहलयुक्त (डब्लू.एच.ओ. मानक के अनुसार) सैनेटाइजर की दर न्यूनतम पॉच लीटर के पैक में क्रय नियमों का पालन करते हुए न्यूनतम दरों पर जो किसी भी दशा में क्रमशः अधिकतम रू.85/- प्रति ली. तथा रू.95/- प्रति ली. पुनर्निर्धारित की जाती है, जिसमें समस्त अनुमन्य कर भी सन्निहित है। समानुपातिक रूप से बड़े पैक की दर में ह्रास एवं छोटे पैक की दर में पैकेजिंग आदि के दृष्टिगत सामान्य वृद्धि होगी। सरकारी विभागों/अर्द्धसरकारी विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों द्वारा हैण्ड सैनेटाइजर की आपूर्ति लेते समय उपरोक्तका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार सुसंगत नियमों के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:55/2020/1380(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।